भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 562
गुरुवार, दिनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>छत वाली सौर ऊर्जा परियोजना की धीमी गति</u>

562. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत वाली सौर ऊर्जा परियोजना की गति धीमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इसके तहत कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक संस्वीकृत निधि/प्राप्त प्रतिक्रिया का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) डिस्कॉम्स के साथ बेहतर ऊर्जा खरीद समझौता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके मिटरिंग संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) वर्ष 2015-2020 में रूफटॉप सौर (आरटीएस) कार्यक्रम के चरण-I के क्रियान्वयन के दौरान एमएनआरई के स्पिन पोर्टल पर 4200 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.01.2021 तक 2071 मेगावाट की उपलब्धि की सूचना दी गई है। प्रगति पर प्रभाव डालने वाले कारकों में समान विनियमों की कमी, विविध एजेंसियों का शामिल होना, संभावित लाभार्थियों में जागरुकता की कमी, डिस्कॉमों द्वारा संभावित राजस्व घाटे की आशंका आदि शामिल हैं।

इन मामलों का आरटीएस कार्यक्रम के चरण-II में समाधान निकाला गया है, जिनमें क्रियान्वयन के लिए डिस्कॉमों को नोडल एजेंसियाँ बनाना, जागरुकता और क्षमता निर्माण के लिए अलग से निधियाँ प्रदान करना, बेस क्षमता की कतिपय प्रतिशतता से अधिक की आरटीएस क्षमता जोड़ने के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देना आदि शामिल है।

आरटीएस कार्यक्रम के चरण-II के तहत आवासीय क्षेत्र में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से लक्षित 4000 मेगावाट क्षमता में से 2600 मेगावाट से अधिक की क्षमता विभिन्न डिस्कॉमों को स्वीकृत की जा चुकी है।

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, राज्यों ने 3.73 गीगावाट की संचित स्थापना की ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर क्षमता के बारे में सूचित किया है।

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आरटीएस कार्यक्रम के तहत जारी करने के लिए स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

वित्त वर्ष 2017-18	:	167.93 करोड़ रु.
वित्त वर्ष 2018-19	:	446.78 करोड़ रु.
वित्त वर्ष 2019-20	:	290.66 करोड़ रु.
वित्त वर्ष 2020-21 (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार)	:	297.21 करोड़ रु.

राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आरटीएस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छत किराए पर देने, यूटिलिटी मॉडल, रेस्को आदि जैसे विभिन्न वाणिज्यिक मॉडल विनिर्दिष्ट किए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने डिस्कॉम द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए सांकेतिक मॉडल प्रचालन प्रक्रिया और सम-सीमा जारी की है। मॉडल प्रचालन प्रक्रियाओं में मीटरों की स्थापना के लिए समय-सीमा शामिल है।

अनुलग्नक

'छत वाली सौर ऊर्जा परियोजना की धीमी गति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 04.02.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 562 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की धनराशि (करोड़ रु. में)			
		वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21
1	आन्ध्र प्रदेश	4.82	44.95	2.07	27.81
2	असम	0.00	0.00	17.33	
3	अंडमान और निकोबार	7.00	0.00		
4	बिहार			1.01	0.89
5	छत्तीसगढ़	3.30	0.00	2.67	
6	दिल्ली	21.40	0.00	0.60	21.06
7	गुजरात	23.18	169.19	77.53	0.78
8	हरियाणा	0.00	11.74	13.07	4.12
9	जम्मू और कश्मीर	0.00		6.68	4.89
10	झारखंड	0.00		2.30	
11	केरल	9.41			
12	मध्य प्रदेश	3.14			4.45
13	महाराष्ट्र	0.00	77.13		55.06
14	ओडिशा	1.61			
15	पुडुचेरी	0.00	0.10	0.79	
16	पंजाब	0.00	10.71	5.50	6.87
17	राजस्थान	11.68	21.36		11.60
18	तमिलनाडु	0.00			4.41
19	तेलंगाना	2.72	18.25	20.23	20.66
20	त्रिपुरा	0.70			
21	उत्तराखंड	27.09		7.67	4.55
22	उत्तर प्रदेश	2.32	7.52		14.68
23	पश्चिम बंगाल	6.30	4.08	13.38	
24	चंडीगढ़	1.73	18.76	5.13	0.85
25	मणिपुर	0.00		4.15	4.03
26	हिमाचल प्रदेश	0.00	9.76		
27	मेघालय			3.47	
28	मिजोरम	4.54			
29	अरुणाचल प्रदेश	14.06			
30	पीएसयू/सरकारी विभाग	16.75	19.67	21.34	57.52
31	सेकी	3.68	33.56	85.77	52.98
32	नाइस/टेरी	2.51			
	कुल	**167.93**	**446.78**	**290.66**	**297.21**

*****